न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या:– 16 / 2022 — दर्ज दिनांक 26.05.2022

जी सी एम एस न0 2022 / 428 — निर्णय दिनांक:– 12.07.2022

1. दशरथसिंह पुत्र किशोरसिंह
2. गोविन्दसिंह पुत्र किशोरसिंह
3. भीमसिंह पुत्र किशोरसिंह
4. भंवर कंवर पत्नी किशोरसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण छावसरी तहसील गुढागौडजी जिला झुन्झुनूं

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार एव लैण्ड होल्डर गुढागौडजी जिला झुन्झुनूं

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 110, 128 एल.आर.एक्ट वास्ते पत्थरगढी

निर्णय

दिनांक:– 12.07.2022

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना इस आशय का पेश किया है कि ग्राम छावसरी पटवार हल्का छावसरी तहसील गुढागौडजी की सरहद में प्रार्थीगण की भूमि खसरा न0 519 रकबा 0.32 है0 अवस्थित है। जो प्रार्थीगण खातेदार है। उक्त भूमि को सीमाज्ञान दिनांक 24.05.2022 को पटवारी हल्का छावसरी द्वारा मौके पर जाकर किया गया। फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट संलग्न है। प्रार्थी सीमाज्ञान दिनांक 24.05.2022 के अनुसार भूमि के चारों ओर पत्थरगढी करवाना चाहते है। इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम छावसरी पटवार हल्का छावसरी की सरहद में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा न0 519 रकबा 0.32 है0 के चारो और दिनांक 24.05.2022 के मुताबिक सीमाज्ञान के अनुसार पत्थर गढी के आदेश अनावेदक न0 1 तहसीलदार गुढागौडजी को फरमाया जावे तथा नियमानुसार राजकीय शुल्क प्रार्थीगण से जमा लिया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई। अप्रार्थी न0 1 बावजूद तामिल हाजीर नही अतः इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा सीमाज्ञान दिनांक 24.05.2022 के अनुसार मौके पर सीमाचिन्ह कायम करने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार ग्राम छावसरी की सरहद मे भूमि खसरा न0 519 रकबा 0.32 है0 के नाम राजस्व रिकार्ड होना साबित है। प्रार्थी उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 24.05.2022 के अनुसार खातेदारी भूमि की सीमाओं पर सीमाचिन्ह कायम करवाना चाहता है। सीमाज्ञान रिपोर्ट संलग्न है।उक्त विवेचन से प्रार्थी अनावश्यक विवादों से बचने के लिए खातेदारी भूमि की सीमाओं पर सीमाचिन्ह कायम करवाने का अधिकारी है

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार गुढागौडजी को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम छावसरी की सरहद मे भूमि खसरा न0 519 रकबा 0.32 है0 के चारो ओर सीमाज्ञान दिनांक 24.05.2022 के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार शुल्क जमा कर सीमाचिन्ह यानी पत्थरगडी करवावे।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 12.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.05.19 09:55:31 IST
Reason: SelfAttested